संख्या-9/3360/30-3-13-20बी/2013

प्रेषक,

संतोष कुमार रावत,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 15 जनवरी, 2014

विषय- प्रदेश के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जॉच हेतु निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट के निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-104नजा0/2013-15नजारत/2013, दिनॉक 28-10-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न परिवहन कार्यालयों में व्यावसायिक वाहनों की स्वस्थता जॉच हेतु निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट का निर्माण कराने हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत नक्शा तथा लागत के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2057/30-3-2013-20बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 के क्रम में व्यय वित्त समिति द्वारा मानकीकृत लागत तथा नक्शों के अनुरूप कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित आगणन के आधार पर निम्नांकित तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 में रू0 248.55 लाख (रू0 दो करोड. अड़तालीस लाख पचपन हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं प्रथम किस्त के रूप में रू0 124.275 लाख (रू0 एक करोड. चौबीस लाख सत्ताइस हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपदों के नाम जिनके परिवहन कार्यालयों में निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट का निर्माण कराया जाना है।	कराये जाने वाले कार्य	कार्य हेतु स्वीकृत लागत (प्रति कार्यालय)	स्तम्भ-2/3 में उल्लिखित कार्यों हेतु कुल धनराशि जिसकी प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।	प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि	द्वितीय/अन्तिम किस्त के रूप में दी जाने वाली अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ व मुरादाबाद ।	दो निरीक्षण कक्ष व दो फिटनेस पिट का निर्माण	रू0 22.05	110.25	रू0 55.125	रू0 55.125
2	अलीगढ., बस्ती, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, फिरोजाबाद, बागपत, इटावा, कन्नौज, सीतापुर	एक निरीक्षण कक्ष व एक फिटनेस पिट का निर्माण	रू0 13.83	रू0 138.30	रू0 69.15	रू0 69.15

2- आहरित धनराशि पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

3- प्रायोजना का अन्तिम रूप से अनुमोदित मानचित्र/डिजाइन के आधार पर विस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य कराया जाय।

4- परियोजना निर्माण में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- निर्माण के समय कार्य की विशिष्टियॉ, मानक व गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

6- उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो, इसका पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष को होगा।

7- परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कर लिया जायेगा और इसका उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा और इस हेतु कोई पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

8- निरीक्षण कक्ष एवं फिटनेस पिट के मानकीकरण एवं लागत सम्बन्धी शासनादेश संख्या-2057/30-3-13-20बी/2013, दिनॉक 03-09-2013 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- द्वितीय किस्त/अन्तिम किस्त की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध करायी गयी धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक होने की स्थिति में उपलब्ध करायी जायेगी।

10- उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

11- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्ष "4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-05-वाहनों के फिटनेस चेक हेतु फिटनेस पिट की स्थापना-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0 संख्या-ई-9-20/दस-2014, दिनॉक 15 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

संख्या-9/3360(1)/तीस-3-2013, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय-परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, वाराणसी, गाजियाबाद, कानपुर, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ, बस्ती, उन्नाव, कानपुर देहात, रायबरेली, फिरोजाबाद, बागपत, इटावा, कन्नौज, सीतापुर द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
8- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ ।
9- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था-उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा परिवहन आयुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह0

(संतोष कुमार रावत)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in